(233)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

संoसंo-मo निo -II–उo योo-70/2018-19/0921(कृ) /मत्स्य, राँची, दिनांक 02/07/2021

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पीo, भाo प्रo सेo
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजनान्तर्गत शीर्ष-2405-मछली पालन के तहत् आईoओoटीo का विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल मोo 24.14 लाख (चौबीस लाख चौदह हजार) रुपये मात्र की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत "आईoओoटीo का विकास" एक चालू प्रकृति की योजना है, जिसके अंतर्गत मत्स्य प्रक्षेत्र में इन्टरनेट आधारित उपकरणों के अधिष्ठापन से तालाबों के पानी की गुणवत्ता आदि की मोनिटरिंग किया जाना है। इन उपकरणों से तालाबों के जल का घुलनशील ऑक्सीजन, pH, तापमान एवं क्षारीयता (Alkalinity) का लगातार अनुश्रवण किया जा सकेगा क्योंकि इन उपकरणों से real time data की मोनिटरिंग की जा सकेगी। ये सभी उपकरण Mobile App Based एवं Mobile Connectivity पर आधारित हैं। इससे मत्स्य कृषकों के मोबाईल पर तालाब के पानी के parameters, खासकर घुलनशील ऑक्सीजन का एलर्ट प्राप्त होते रहेगा। सघन मत्स्य पालन (Intensive Fish Culture) कर रहे मत्स्य कृषक कहीं भी रहकर इसकी मोनिटरिंग कर सकेंगे एवं तदनुसार बेहतर प्रबंधन कर अधिक मत्स्य उत्पादन कर सकेंगे। इस योजना से राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 34 आईoओoटीo उपकरणों का प्रयोग कर डाटा प्राप्त किया जाएगा।

2. इस योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल स्वीकृत बजट उपबंध मोo 25.00 लाख रुo मात्र के अधीन मोo 24.14 लाख (चौबीस लाख चौदह हजार) रुपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि मोo 24.14 लाख (चौबीस लाख चौदह हजार) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :-

मॉंग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन (राशि लाख रुo में)

क्रo	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली-पालन-उप शीर्ष-64-आईoओoटीo का विकास योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53 S 24050010164010323	9.000	8.775
2	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली-पालन-उप शीर्ष-64-आईoओoटीo का विकास योजना-विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय 53 S 24050010164010759	2.000	1.875

Scanned by CamScanner

3	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-64-आई0ओ0टी0 का विकास योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53 S 24050078964010323	2.500	2.340
4	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-64-आई0ओ0टी0 का विकास योजना-विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय 53 S 24050078964010759	0.500	0.500
5	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-64-आई0ओ0टी0 का विकास योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53 S 24050079664010323	9.000	8.775
6	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-64-आई0ओ0टी0 का विकास योजना-विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय 53 S 24050079664010759	2.000	1.875
	कुल योग :	25.000	24.140

मो0 24.14 लाख (चौबीस लाख चौदह हजार) रू0 मात्र।

4. इस योजना अन्तर्गत संपूर्ण राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय होगी एवं इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची एवं सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) होंगे।

5. इस योजना अन्तर्गत जिलावार एवं लघु शीर्षवार प्रस्तावित लक्ष्य परिशिष्ट-I के रूप में संलग्न है। जिलावार दिए गए भौतिक लक्ष्यों एवं आवंटित राशि के विरुद्ध संबंधित कोषागारों से राशि की निकासी की जाएगी।

6. योजना के नियंत्री पदाधिकारी राज्य स्तर पर निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची होंगे एवं योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग होंगे।

7. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्न मापदण्ड होंगे-

(क) यह योजना सभी जिलों के चयनित मात्र 34 मत्स्य कृषकों हेतु कार्यान्वित होगी।

(ख) वैसे मत्स्य कृषकों को इसका लाभ दिया जाएगा जिनके पास 1-2 एकड़ रकबा के सदाबहार तालाब हों।

(ग) दिए जाने वाले उपकरणों की इकाई लागत में लाभुक का अंशदान 10 प्रतिशत होगा। अनुमानत: एक उपकरण की इकाई लागत 65,000/- (पैंसठ हजार) रू0 होगी।

(घ) कृषकों के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उनके सदाबहार तालाबों का वार्षिक मत्स्य उत्पादन कम से कम 1000 कि0ग्रा0 प्रति एकड़ प्रति वर्ष हो।

(ड़) एक लाभुक को अधिकतम 02 इकाई उपकरण ही देय होंगे।

(च) आवेदक मत्स्य कृषक के पास स्मार्ट फोन होना चाहिए।

(छ) उपकरणों का क्रय जिलावार जेम (GEM) अथवा समाचार पत्रों में निविदा आमंत्रित कर विहित प्रक्रिया अनुसार की जाएगी।

8. लाभुकों की अनुशंसा समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से संबंधित जिले में निम्न समिति के द्वारा किया जाएगा, जिसके सदस्य होंगे -

(i) जिला मत्स्य पदाधिकारी - सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / जिला मत्स्य पदाधिकारी

(ii) जिला पशुपालन पदाधिकारी

(iii) जिला गव्य विकास पदाधिकारी

Scanned by CamScanner

(iv) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सरकार द्वारा मनोनित प्रतिनिधि
(v) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति हेतु प्रगतिशील मत्स्य पालकों के सरकार द्वारा मनोनित प्रतिनिधि
(vi) जिले के वरीयतम मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक - सदस्य सचिव

समिति द्वारा अनुशंसित लाभुकों के चयन हेतु संबंधित जिले के उपायुक्त से अनुमोदन प्राप्त किया जाए। लाभुकों के चयन के क्रम में यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि एक ही लाभुक के लिये योजना का दोहरीकरण नहीं हो।

9. इस योजना अन्तर्गत उपबंधित "अन्य व्यय" की राशि से संबंधित जिला मत्स्य कार्यालयों के पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा चयनित मत्स्य कृषकों को आवश्यक प्रशिक्षण आपूर्तिकर्ता के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही संबंधित जिला मत्स्य कार्यालयों में इन उपकरणों से प्राप्त होने वाले डेटा के संधारण हेतु कम्प्यूटर आदि के साथ व्यवस्था की जाएगी तथा उपकरणों के वार्षिक मेन्टेनेन्स पर भी उक्त राशि से व्यय किया जाएगा।

10. संलेख सं0 736 दिनांक 31.05.2019 के आलोक में राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक 07.06.2019 की बैठक में योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा बैठक की कार्यवाही माननीय मुख्य (योजना-सह-वित्त) मंत्री जी के अनुमोदन उपरान्त योजना-सह-वित्त विभाग के ज्ञापांक रा0यो0प्रा0-116/19 राँची, दिनांक 18.06.2019 द्वारा निर्गत है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्यादेश सं0 28 रा0 (विभाग) दिनांक 04.02.2021 द्वारा इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

11. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी।

12. वित्तीय वर्ष 2020-21 में यह योजना कुल मो0 50.00 लाख रू0 की लागत पर स्वीकृत थी तथा वास्तविक व्यय मो0 19.461 लाख रू0 है।

13. योजना के अन्तर्गत कोई भी राशि अग्रिम के समायोजन हेतु शेष नहीं है। केन्द्र सरकार की राशि निहित नहीं है, अतः उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।

14. इस योजनान्तर्गत मशीन, उपकरण, सामग्री इत्यादि के क्रय जेम (GEM) के माध्यम से वित विभाग, झारखण्ड द्वारा स्थापित प्रकिया/नियमों/शर्त्तों का सुदृढ़ता पूर्वक पालन करते हुये किया जाएगा।

15. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जाएगी।

16. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना सं0-सी0एस0-02/आर0-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

17. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जाएगा।

Scanned by CamScanner

18. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राप्त है :-

I व्यय बजट उपबंध के अन्तर्गत हो।

II किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना का दोहरीकरण न हो।

III स्वीकृत्यादेश प्रारुप में उल्लेखित प्रावधानों/शर्त्तों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

19. स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

20. स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के पश्चात् विभागीय वेबसाईट **www.jharkhandfisheries.org** पर देखा जा सकता है।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 09 रा०(वि) मत्स्य / राँची, दिनांक 02/07/2021

प्रतिलिपिः अनुलग्नक सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी/निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्यकार्यपालक पदाधिकारी (सभी) एवं सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 09 रा०(वि) मत्स्य / राँची, दिनांक 02/07/2021

प्रतिलिपि :अनुलग्नक सहित योजना-सह-वित्त विभाग (बजट शाखा, वित्त प्रभाग) झारखण्ड, राँची/ विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 09 रा(वि) मत्स्य / राँची, दिनांक 02/07/2021

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित माननीय विभागीय मंत्री जी के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

Scanned by CamScanner

(229)

परिशिष्ट ।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में आई० ओ० टी० का विकास योजना अंतर्गत जिलावार प्रस्तावित भौतिक (संख्या मे) एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख रू० मे)

क०	स्थापना / जिला का नाम	लघु शीर्ष– 101			लघु शीर्ष– 789			लघु शीर्ष– 796			कुल वित्तीय लक्ष्य
		विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री		विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री		विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री		विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय	
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	राँची	0	0.000	0.000	1	0.585	0.125	1	0.585	0.125	1.420
2	खूँटी	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	1	0.585	0.125	0.710
3	गुमला	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	2	1.170	0.250	1.420
4	सिमडेगा	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	1	0.585	0.125	0.710
5	लोहरदगा	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	1	0.585	0.125	0.710
6	पलामू	2	1.170	0.250	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	1.420
7	लातेहार	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	1	0.585	0.125	0.710
8	गढ़वा	1	0.585	0.125	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.710
9	पूर्वी सिंहभूम	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	1	0.585	0.125	0.710
10	प० सिंहभूम	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	1	0.585	0.125	0.710
11	सरायकेला	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	1	0.585	0.125	0.710
12	हजारीबाग	1	0.585	0.125	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.710
13	रामगढ़	1	0.585	0.125	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.710
14	कोडरमा	0	0.000	0.000	1	0.585	0.125	0	0.000	0.000	0.710
15	बोकारो	3	1.755	0.375	1	0.585	0.125	0	0.000	0.000	2.840
16	धनबाद	1	0.585	0.125	1	0.585	0.125	0	0.000	0.000	1.420
17	गिरिडीह	2	1.170	0.250	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	1.420
18	चतरा	1	0.585	0.125	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.710
19	देवघर	2	1.170	0.250	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	1.420
20	दुमका	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	1	0.585	0.125	0.710
21	जामताड़ा	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	2	1.170	0.250	1.420
22	पाकुड़	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	1	0.585	0.125	0.710
23	साहेबगंज	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	1	0.585	0.125	0.710
24	गोड्डा	1	0.585	0.125	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.710
	कुल योग :	**15**	**8.775**	**1.875**	**4**	**2.340**	**0.500**	**15**	**8.775**	**1.875**	**24.140**

(मो० चौबीस लाख चौदह हजार) रुपये मात्र।

नोट :- उपर्युक्त राशि की गणना अनुमानित इकाई लागत के आधार पर की गई है। वास्तविक क्रय की दरों के आधार पर प्रक्रियानुसार राशि का भुगतान किया जाएगा। वित्तीय लक्ष्य को आवंटन नहीं समझें।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी०)
सरकार के सचिव

Scanned by CamScanner